

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2154/2020

Union Of India Through The General Manager, North Western
Railway,

-----Appellant

Versus

Smt. Lalita Devi W/o Late Shri Kishanlal Yadav,

-----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Vishnu Shanker Badaya, Adv. for
Mr. Sumit Bishnoi, Adv.

For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

16/03/2026

धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र संख्या 889/2020 पर सुना गया।

प्रार्थना पत्र में वर्णित कारण उचित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और अपील प्रस्तुत करने में हुए 14 दिन के विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील को मियाद में माना जाता है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा नियमानुसार पी एफ नोटिस व डाक खर्च पेश किये जाने पर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस सामान्य प्रक्रिया के साथ साथ स्पीड पोस्ट से जारी किये जावे।

पत्रावली छह सप्ताह बाद न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे।

In SB Civil Misc. Stay Application No. 1900/2020

उपस्थित पक्ष को सुना गया।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए दिनांक **26.08.2020** को पारित अंतरिम आदेश अपील के अंतिम निस्तारण तक प्रभावी व पुष्ट करते हुए यह स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J